demand higher prices for their fuel during the crisis?

Shri Humayun Kabir: Not during the crisis. When we secured a much higher discount, they naturally argued with us but the supplies were received towards the end of July and they have accepted the oil which we received from the Western sources.

Shrimati Renuka Ray: The Minister, in his reply, has said that, as the papers have contradicted what misleading news they had given, the Government is satisfied. When at a moment of crisis such misleading propaganda is done in this type of papers, may I know whether Government is contemplating taking some more drastic action than merely asking for a contradiction after the mischief is done?

Shri Humayun Kabir: As I said, it was a long editorial in which they had argued and said that the Government thought that the Talukdar Report did not go far enough whereas all private companies thought that the Talukdar Report was drastic. In that connection, they expressed an opinion. I do not think that we should go about condemning every paper in every part of the world simply because they express an opinion.

कानपुर के व्यापारी की गिरफ्तारी

\+

*122. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर का एक उद्योगपति हाल में पाकिस्तान को लोहे की चादरें भेजता हुआ पकड़ा गया था ;

(ख) क्या इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) यह सूचना प्राप्त होने पर जंग न लगने वाली लोहे की नालीदार चादरें कानपुर से अहमदाबाद के निकट नरोदा रेलवे स्टेशन के लिए बुक की गई थीं जिनके बारे में कहा जाता था कि वे पाकिस्तान ले जाई जायेंगी, कानपुर स्थित सरकार की रेलवे पुलिस ने 7 जुलाई, 1965 को 102 ऐसी चादरों के 2 बंडल जब्त कर लिये जो कानपुर के एक रेलवे से माल मंगाने और भेजने वाले एजेंट द्वारा नरोदा के लिये बुक कराई गई थी । उत्तर प्रदेश की सी० आई० डी० द्वारा जांच शुरू की गई । पहली सितम्बर, 1965 को एक जूडीशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में माल भेजने वाले एजेंट ने बताया कि यह माल कानपुर के एक व्यापारी का था । जब आगे की जांच की जा रही थी तब उक्त व्यापारी ने एजेंट का बयान लेने वाले मजिस्ट्रेट को घूस देने की कोशिश की एक जाल बिछाया गया और पहली सितम्बर 1965 की रात को यह व्यापारी घूस देने की कोशिश करता हुआ मजिस्ट्रेट के निवास स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 165-क के अधीन गिरफ्तार किया गया । उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 तथा भारत सुरक्षा नियमों की व्यवस्थाओं के अधीन भी गिरफ्तार किया गया ।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा भारत सुरक्षा नियमों के अधीन मुख्य मामले

के बारे में जांच का काम अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है । उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह मजिस्ट्रेट को घूस देने के मामले की जांच भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दे क्योंकि यह मामला भी मुख्य मामले की एक शाखा है ।

(ग) मुख्य मामले से सम्बन्धित कागजात केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 6-10-1965 को उत्तर प्रदेश पुलिस से ले लिये । अभी आगे जांच चल रही है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि लोहे की चादरें पाकिस्तान में कहां और किस को भेजी गईं और इसमें किस श्रेणी के मंत्री, अफ़सर और रेल के अफ़सर जुड़े हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : स्टेटमेंट में दिया गया है कि किस को भेजी गई । इस में रेल के अफ़सर का भी जिक्र है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मुश्किल यह है कि वह स्टेटमेंट मेरे पास तो है नहीं ।

श्री ल० ना० मिश्र : मैं माननीय सदस्य की थोड़ी सी मदद कर देता हूं । जहां तक पाकिस्तान को भेजने का प्रश्न है, आरोप यह है कि पाकिस्तान को भेजने का इरादा था । वैसे वे चादरें अहमदाबाद के पास नरोदा रेलवे स्टेशन के लिए बुक की गई थीं । इस लिए अभी तक तो यह आरोप ही है कि ये पाकिस्तान भेजी जा रही थीं । यह बात अभी सिद्ध नहीं हुई है । इस बारे में सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन तहकीकात कर रहा है । इस तहकीकात के बाद तथ्यों का पता चलेगा । जहां तक हमको सूचना मिली है, अभी तक ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कोई मंत्री या रेलवे का कोई उच्च पदाधिकारी इसमें फंसा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह क्लीयरिंग एजेंट रेलवेज का है ?

श्री ल० ना० मिश्र : वे तो प्राइवेट ब्रोकर हुआ करते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मंत्री महोदय ने सारी बुनियाद ही खत्म कर दी है । इस मामले की तहकीकात करते हुए सरकार को अब मालूम हुआ है कि भारत में लोहे की चादरों और अनाज वगैरह चीजों की कमी और उनके बढ़ते दामों का एक कारण तस्कर व्यापार रहा है । तो क्या सरकार कोई व्यापक तरीके सोच रही है और क्या उसने कोई कदम उठाया है, जिससे इस तरह का तस्कर व्यापार मिटे ?

श्री ल० ना० मिश्र : तस्कर व्यापार से बहुत सी चीजों की कमी हो जाती है और कुछ चीजें बढ़ भी जाती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तस्कर व्यापार बहुत गलत और बहुत बुरी चीज है । जहां तक उसको रोकने के लिए पहरे का सवाल है, हम लोगों ने उस को स्ट्रेंथन किया है और कदम उठाए हैं, ताकि जहां तक हो सके, स्मगलिंग को खत्म किया जा सके ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने व्यापक जांच और व्यापक उपाय के बारे में पूछा है ।

श्री ल० ना० मिश्र : हम इन्टेन्सिव ढंग से काम कर रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : कानपुर के इस व्यापारी को जब गिरफ्तार किया गया, तब क्या उसके पास से सात सौ ट्रांजिस्टर रेडियो मिले और क्या सरकार के पास इस बात की खबर है कि यह व्यापारी सरकार के सचिव, मंत्री और दूसरे अफ़सरों को खरीदने के लिए उनको ट्रांजिस्टर रेडियो बांटा करता था ?

श्री ल० ना० मिश्र : उनके घर की तलाशी हुई, जो काफ़ी दिन तक चली । एसिस्टेंट कमिश्नर, कलक्टर, सेंट्रल एक्साइज और स्थानीय पदाधिकारी मौजूद थे । कुछ

चीजें मिलीं, लेकिन कामर्शल क्वान्टिटी में नहीं मिलीं । मैं इस वक्त ठीक संख्या नहीं दे सकता हूं, लेकिन बहुत कम मात्रा में—दस, पांच—ट्रांजिस्टर मिले । यह बात असत्य है कि वे सरकारी सचिव को या किसी को देने के लिये रखे गये थे । यह आरोप नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : स्टेटमेंट में कहा गया है :

> "While further investigations were in progress, the said trader of Kanpur...."

—that is, Mr. Agarwal—

> "....is alleged to have made an attempt to bribe the Magistrate who recorded the statement of the Clearing Agent."

इससे साफ जाहिर होता है कि अग्रवाल साहब ने जो अचानक करोड़पति बन गए हैं दस साल में, मैजिस्ट्रेट को रिश्वत देने की कोशिश की । क्या इस बात की भी जांच होगी कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार में सचिव या मंत्री या और किसी को भी रिश्वत देने की कोशिश की और कितने लोगों ने उस रिश्वत को देशभक्ति के आधार पर स्वीकार किया और कितने आदमियों ने इन्कार किया ? इसकी जांच भी सी० बी० आई० करेगा या नहीं ?

श्री ल० ना० मिश्र : करोड़पति बनने का जहां तक प्रश्न है यह चीज माननीय सदस्य ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये उनके पड़ोसी हैं .....

श्री स० मो० बनर्जी : हम तो आपसे जांच की बात कर रहे हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक जांच की बात का सम्बन्ध है, हर तरह की तहकीकात होगी और जो भी इस दायरे में आए" उसको पकड़ा जाएगा और कारवाई की जाएगी चाहे वह कितना ही ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति क्यों न हो ।

Shri S. M. Banerjee: I had tabled this question twice on two things. I thought that at least in the Central Parliament here we would be enlightened with more information by way of answers to questions. The U.P. Assembly was adjourned a day before that because the name was to be announced....

Mr. Speaker: The hon. Member can have recourse to some other procedure.

Shri S. M. Banerjee: Transistor set or no transistor set, we should have answers to our questions.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इन्कार किया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : बनर्जी साहब को भी कुछ देने की कोशिश की होगी । पड़ोसी हैं न ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि लक्ष्मीचन्द अग्रवाल, भोला अग्रवाल की फर्म से जो कि एक करोड़पति फर्म है, ताल्लुक रखते हैं और सरकारी आदमियों को इलीगल ग्रेटिफिकेशन पहुंचाया करते थे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कितनों की जमानतें हुई हैं और कितने अभी जेल में हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक फर्म का सवाल है यह ठीक है कि लक्ष्मीचन्द अग्रवाल का नाम है । उन्हीं की चादरें थीं । रेलवे फारवर्डिंग एजेंट ने उन्हीं का नाम दिया था और उनको गिरफ्तार भी किया गया था । जैसे बनर्जी साहब ने रिश्वत की बात कही है छः हजार रुपया देने वह जा रहे थे ट्रेप ले लिया गया याने जाल बिछाया गया और मुस्तैदी से, चुस्ती से हमारी पुलिस और मैजिस्ट्रेट ने उनको गिरफ्तार किया । उन पर मुकदमा भी चल रहा है । दो महीने तक वह हवालात में रहे और

उसके बाद उनकी कोर्ट से उनकी जमानत हो गई——

Shri S. M. Banerjee: He was always in jail hospital.

श्री ल० ना० मिश्र : जो भी हो, वह जेल में थे और दो महीने के बाद कोर्ट से जमानत हो गई। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, ज्यूडिशरी इंडीपेंडेंट है। वहां से उनकी जमानत हुई।

जहां तक करोड़पति बनने का सवाल है, माली हालत का सवाल है, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। लेकिन रिश्वत देने का आरोप है जिसकी जांच हो रही है।

Shri Hari Vishnu Kamath: Is it a fact that this particular money-bag of Kanpur made a very tidy contribution of a lakh, perhaps more than two lakh of rupees to the Congress election fund during the 1962 elections, and is that the reason why Government are suspected of adopting a 'goody-softy' attitude in the matter and is that also the reason why the Chief Minister of U.P. was advised by the Centre not to make a statement in the U.P. Assembly while the matter was being processed at the Centre by the big bosses here?

Shri L. N. Mishra: I may say that we are vigorously pursuing the matter and investigating the matter. It is very wrong and unfair, therefore, for my hon. friend to say like that. I do not know whether they have made any contributions. I am not aware of it. But so far as the first part of the question is concerned, namely the question of taking any steps against that firm or that party, we are very serious about it, and it will be unfair to say that we are soft or anything of that sort. So far as the statement is concerned, the statement has been made in the U.P. Legislature.

Shri Hari Vishnu Kamath: By the Chief Minister of U.P.?

Mr. Speaker: He says that a statement has been made in the U.P. Assembly.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह बात बिलकुल गलत है। उत्तर प्रदेश विधान सभा तो एक दिन पहले ही स्थगित कर दी गई। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में यह बयान दिया गया था। यह गलत बात आप कह रहे हैं। आप खड़े होकर माफी मांगिये।

श्री ल० ना० मिश्र : घबराइये नहीं, अभी बता देता हूं।

डा० राम मनोहर लोहिया : सीधी सी माफी मांगिये। विधान परिषद में बयान हुआ था, विधान सभा में नहीं।

श्री ल० ना० मिश्र : यह मैं मान सकता हूं। लैजिसलेचर तो हुई।

Shri Hari Vishnu Kamath: I did not hear what he said about the Chief Minister of U.P. I wanted to know whether she was advised by the Government here....

Mr. Speaker: There a statement was made in the Council.

Shri Hari Vishnu Kamath: Not now, but then, in September. I want to know whether the Chief Minister of U.P. was advised not to make a statement there when the matter was being processed here and the matter was sought to be hushed up at the Centre by the big bosses here....

Shri L. N. Mishra: There is no question of hushing up the matter. We did not advise her like that. The investigation was in progress.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): Where does the question of hushing up arise at all? As soon as the matter was brought to our notice

we took it up, and the Central Bureau of Investigation was brought into the picture so that it could be tackled very effectively. And it is being done. After our having done that, if we are still to be told that we are soft and so on, I do not quite understand it.

Shri Hari Vishnu Kamath: My question was whether the hon. Minister advised her not to make a statement there?

Shri Nanda: No, we are not concerned with that.

Shri Hem Barua: On a point of order. It is a very serious matter. Shri Kamath asked whether this particular gentleman had made a contribution of Rs. 2 lakhs to the Congress fund during the elections. In reply, the Deputy Minister has said that it is an 'unfair, wrong and unfounded statement'. In the same breath, he said that he does not know whether the gentleman concerned had made any contribution to the Congress Party or to the Congress election fund. When he does not know whether he made any contribution, is it in order for him to say that Shri Kamath's statement is wrong, unfair and unfounded?

Mr. Speaker: Shri Kamath had said so many things and not merely one. As regards the question about contribution having been made, he has said that he has no knowledge. About the other things, he has said that it is unfair.

Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of order now arising out of your ruling. As far as I understood him, he said that the first part of the statement, about contribution of Rs. 2 lakhs or more, was unfounded, unfair and all that. I do not think he referred to the rest of the statement in that context. The other thing I asked was whether the Chief Minister of U.P. was advised not to make any statement while the matter was being dealt with here at the Centre. There is no question of any baseless charge in that .

Mr. Speaker: No, no. . .

Shri Hari Vishnu Kamath: You are brushing it off lightly—I am sorry. My colleague Shri Hem Barua raised a point of order that the Deputy Minister, after having said that he does not know whether this money-bag made any contribution of Rs. 2 lakhs to the Congress fund, insisted that my statement was unfounded. How dare he say that?

Mr. Speaker: I am surprised that this attitude is taken and we are proceeding like this. When a point of order is raised, I give the decision. Then it is contested. Then some discussion takes place.

I had said that there were two or three things that Shri Kamath had said.

Shri Hari Vishnu Kamath: Two things.

Mr. Speaker: All right. Then also, about one, he said that he does not know. About the second, the Minister said that it is unfair, the imputation in it. What is wrong there?

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : लोहे की चादरें कितनी थीं और इनकी कीमत क्या थी ?

श्री ल० ना० मिश्र : चादरें जो पकड़ी गई हैं वे शायद 130 के करीब थीं। अभी मैं आप को बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेटमैंट में दिया हुआ है।

Shri R. S. Pandey: Apart from the Kanpur trader, how many other people have been arrested during the hostilities between India and Pakistan on the charge of smuggling goods to Pakistan?

Mr. Speaker: It is a general question.

Shri U. M. Trivedi: This is a very very important question, apart from the scandal that may arise out of this whole affair. How is it that this

whole affair, where many government officials would be involved ,where government at a very high level would be involved—in sending out iron sheets to Pakistan—how is it that this matter was not brought to the notice of Government directly, immediately as soon as this step was taken, and some information had to be led to the Government?

Mr. Speaker: He has answered it. He said it has not yet been established that it was intended for Pakistan. That is the allegation made. That is being inquired into. It was booked for Ahmedabad and it had reached there, but afterwards certain other developments took place. They have taken him into custody. The CBI is inquiring into it. Unless the inquiry is completed, how can he say that it was intended for Pakistan or not?

Shri U. M. Trivedi: My question is very simple. If this was the object, namely, to send goods, particularly iron sheets, out of India to Pakistan, how is it that the Government of India did not come to know of it before this information was brought to their notice?

Shri L. N. Mishra: We knew it, and we took steps. It was booked and when we came to know of it, the man was arrested. The CBI has taken over the inquiry from the State Government. It is seized of it and is looking into it very vigorously.

Mr. Speaker: The question is: when it was intended to be sent to Pakistan, how is it that it took so long a time for Government to know? How is it that the Government had no information that some goods were being despatched to Pakistan?

Shri L.N. Mishra: Only after this thing was detected, some people made allegations that this was being sent to Naroda with a view to being sent to Pakistan. That has yet to be established.

Shri S.N. Chaturvedi: What are the offences for which investigation is being carried on. Is it being carried on only for offering a bribe or other offences also?

Shri L. N. Mishra: Both, violation of the Essential Supplies Act and offering bribe.

Mr. Speaker: That also is given in the statement.

श्री सरजू पाण्डेय: अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सी० बी० आई० को यह जांच सुपुर्द की गई है कि माल पाकिस्तान भेजा गया है या नहीं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें कुछ सरकार के बड़े कर्मचारियों का भी हाथ है। इस बात को देखते हुये क्या सी० बी० आई० को उनको कंटैक्ट करने के लिये कहा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय: सी० बी० आई० खुद सब कुछ देख लेगी।

श्री सरजू पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

अध्यक्ष महोदय: जब सी० बी० आई० जांच कर रही है तो उससे कैसे कहा जाये कि वह क्या करे और क्या न करे।

श्री हुकम चन्द कछवाय: मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि श्री अग्रवाल ने कुछ ऊंचे सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों को समय-समय पर पार्टियां आदि दी हैं और यह श्री अग्रवाल कानपुर सिटी कांग्रेस की कार्यकारिणी के एक वरिष्ठ सदस्य हैं?

श्री ल० ना० मिश्र: एक बात मैं कहूं। बहुत बार बात उठाई गई और अभी भी कही गई कि कांग्रेस के मंत्री और उच्च पदाधिकारी लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। कांग्रेस के मंत्री और उच्च सरकारी अफसर होना तो कोई बुरी बात

नहीं है। लेकिन जो भी खबरें हमारे पास आई हैं उन में ऐसी बात नहीं मालूम होती कि किसी मंत्री पर या उच्च पदाधिकारी पर कोई आरोप लगता हो। जहां तक चीजों का सवाल है मैं कहूंगा कि कुछ ताश मिले हैं उन के यहां, कुछ कम दामों के फाउंटेन पेन मिले हैं और एक आध ट्रांजिस्टर सेट्स मिले हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : और यह जो पार्टियां दी गई हैं श्री अग्रवाल द्वारा जो कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं।

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: What exactly is the ambit of the reference of this particular case handed over to the C.B.I. because this may be only one incident in a chain of incidents?

Mr. Speaker: That is given in the statement.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर आ गया है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को समझे नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं समझे तो मैं क्या करूं।

श्री किशन पटनायक : फार्वर्डिंग ऐजेंट और अन्य लोगों के जो बयान मैजिस्ट्रेट या पुलिस के सामने हुये हैं उन में क्या है, और क्या उस की एक प्रति मंत्री महोदय टेबल पर रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह स्टेटमेंट यहां नहीं आ सकता।

Fencing of Land Borders

+

*123. **Shri Gokulananda Mohanty:**
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri P. C. Barooah:
Shri Mohammed Koya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the border States have submitted a proposal to erect wire fencing all along the land borders primarily to prevent infiltration;

(b) whether Government have considered the plan in all its aspects; and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). No, Sir. But a proposal initiated by the Central Government for the erection of barbed wire fencing along certain sectors of Assam East Pakistan border, **is under consideration.**

Shri Gokulananda Mohanty: May I know when Government propose to start this work and complete it?

Shri Hathi: We have sent the Director-General of Border Security to locate actually the areas where this can be done and assess what the cost would be and whether it would be feasible. After that we shall start.

Shri Gokulananda Mohanty: Did they consider the financial aspect?

Mr. Speaker: That is what is being examined.

Shri Hathi: It would depend upon the length for which we want the wire fencing, but at present it is estimated to be between Rs. 35 and Rs. 45 lakhs.

Mr. Speaker: P. C. Borooah, Basumatari.

Shri Basumatari: In view of the fact that most of the deportees are